

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मुं० नं० 26/17 तारीख 23-5-17

उतवान - रागसिंह कनाम तहसीलदार
 शेडागीग
 प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा (इडे) केट में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 पेश किया। शपथ पत्र व जगाबन्दी का आवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थना को जरिये सम्मन से तलाब कर दिनांक 6/1/17 को पेश हो।

1863-66
 21-5-17

उपजिला कलेक्टर
 टोडाभीम (करोली)

6.7.17 प्रार्थी ककील उप। प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 की ओर से कैचर दरमजु उप। प्रतिवादी नं. 4 की ओर से श्री रामप्रोहरी शुभा अर्ज ने प्रार्थना पेश किया। प्रार्थना पत्र को दिनांक 27.7.17 को पेश हो।

12.7.17 प्रार्थी हरिसिंह व प्रार्थी वकील द्वारा प्रिसेस तलाब की प्रार्थना पत्र पेश किये पर पत्रावली तलाब की। रात्रीमाता हो जाने से इस प्रार्थना पत्र में दोष कार्यवाही न-यत्ना वाहते हुए रखाजि कले का कथन किये हुए प्रिसेस किया। प्रार्थी व प्रार्थी वकील द्वारा प्रिसेस कले से यह प्रार्थना पत्र सम्मन निषेधाज्ञा प्रार्थना किया जाता है। पत्रावली के समय प्रार्थना पत्रावली न कम होकर दाखिल दफा हो।

हरिसिंह
 अर्ज नं. 1
 प्रिसेस कले